आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सहित
2	3

न्यायालय, उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर

दाखिल–खारीज अपील वाद सं0–XV/02/2007–08

P.N. 6034

P.N. 10.11

मो0 रिजवान ———— अपीलार्थी

बनाम

इरफान खाँ ———— विपक्षी

एवं

दाखिल–खारीज अपील वाद सं0–36/2022–23

इरफान खाँ ———— अपीलार्थी

बनाम

मो0 रिजवान अहमद ———— विपक्षी

आदेश

दाखिल–खारीज अपीलवाद सं0 2/07–08 विद्वान अपर समाहर्त्ता पलामू के न्यायालय से दाखिल–खारीज रीविजन वाद सं XV/10/09-10 मे दिनांक 23.05 2011 का पारित आदेश की प्रति के साथ नये सिरे से आदेश पारित करने के निदेश के साथ रिमांड होकर प्राप्त हुआ है। वाद की विषयवस्तु मौजा–नावाबाजार, थाना–नावाबाजार, जिला–पलामू के खाता नं0 11 प्लौट न0 557 रकबा 19 डी0 है। दाखिल–खारीज अपील वाद सं0 XV/36/22-23 विद्वान अंचल अधिकारी नावाबाजार द्वारा दाखिल–खारीज वाद सं0 112/16–17 में दिनांक 21.01.2017 का पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिस आदेश के द्वारा विपक्षी के नाम से मौजा+थाना–नावाबाजार, जिला–पलामू के खाता नं0 11 प्लौट नं0 287 रकबा 06½ डी0 एवं प्लौट नं0 557 रकबा 09 डी0 कुल रकबा 15½ डी0 भूमि का दाखिल–खारीज स्वीकृत किया गया है। अपील अंगीकृत करते हुए विपक्षी को सूचना निर्गत की गयी तथा अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो सका।

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी का मेमोऑफ अपील एवं विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित बहस का अवलोकन किया।

दोनों वादों की विषयवस्तु एवं पक्षकार एक ही है, इसलिए दोनों वादों का एक साथ सुनवाई कर एक साथ आदेश पारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी के अनुसार मौजा–नावाबाजार, थाना–नावाबाजार के खाता नं0 11 प्लौट नं0 557 रकबा 55 डी0 भूमि कासीम अली के नाम से दर्ज था। कासीम अली को दो पुत्र 1. फतु खाँ एवं 2. अहमद अली हुए। खाता नं0 11 प्लौट नं0 557 पारिवारिक व्यवस्था मे अहमद अली को आवंटित हुआ। अहमद अली के चार पुत्र 1. मो0 सदीक 2. मो0 रफीक 3. अब्दुल आस खाँ 4. जैनुल आवेदीन खाँ हुए। जैनुल आवेदीन खाँ का अपने पिता के जीवनकाल में मृत्यु हो जाने के कारण उनके उत्तराधिकारियो को हिस्सा नहीं मिला। तीन पुत्रों मे भूमि का बँटवारा में मो0 रफीक को प्लौट 557 में 19 डी0 अन्य भूमि के साथ मिला। रफीक खाँ ने प्लौट नं0 557 का रकबा 19 डी0 अपने पुत्र अख्तर आलम को वर्ष 1994 मे मौखिक रूप से दान मे दे दिया। अख्तर आलम ने निबंधित केवाला सं0 11407 दिनांक 02.12.2005 से अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री कर प्लौट 557 रकबा 19 डी0 भूमि अपीलार्थी को दखल–कब्जा दे दिया। निबंधित दस्तावेज एवं दखल–कब्जा के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल–खारीज वाद सं0 12/05–06 से दाखिल–खारीज होकर जमाबंदी कायम है। विपक्षी ने उक्त दाखिल–खारीज आदेश के विरूद्ध उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर मेदिनीनगर के न्यायालय में दाखिल–खारीज अपील वाद सं0 2/07–08 दायर किया था, जो खारीज हो गया। तत्पश्चात् अपर समाहर्त्ता, पलामू के न्यायालय में रीविजन वाद सं0 XV/10/09-10 दायर किया जिसे गलत तरीके से निरस्त करते हुए अभिलेख रिमांड होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है, जो अभी निर्णय के लिए लंबित है। इसी बीच विपक्षी ने तथ्यों को छुपाकर प्लौट सं0 557 में 09 डी0 भूमि का दाखिल–खारीज का आवेदन अंचल अधिकारी को दिया। अंचल अधिकारी ने दाखिल–खारीज वाद सं0 112/16–17 संधारित कर बिना स्थलीय जाँच एवं अपीलार्थी को बिना सूचना दिए दाखिल–खारीज स्वीकृत किया है, जो अवैध एवं निरस्त किए जाने के योग्य है। अपीलार्थी का यह भी दावा है कि अपीलार्थी के नाम दाखिल–खारीज वाद सं0 12/05–06 से 19 डी0 भूमि

का स्वीकृत दाखिल–खारीज आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा दायर दाखिल–खारीज अपील वाद सं0 02/07–08 निराधार एवं अवैध है जो खारिजके योग्य है।

विपक्षी का दावा है कि मौजा–नवाबाजार का खाता नं0 11 प्लौट नं0 567 रकबा 55 डी0 भूमि अहमद अली खाँ के नाम दर्ज था। अहमद अली खाँ के चार पुत्र सदीक खाँ, रफीक खाँ, अब्दुल्ला खाँ एवं जैनुल आवेदीन खाँ हुए। जैनुल आवेदीन खाँ का अपने पिता के जीवनकाल में ही देहान्त हो गया, इसलिए मुस्लिम लॉ के अनुसार उसके उत्तराधिकारी को पिता द्वारा अर्जित भूमि में हिस्सा समाप्त हो गया। तीन बचे पुत्रों में 55 डी0 भूमि के बँटवारा करने पर रफीक खाँ को 18⅓ डी0 भूमि हिस्सा में मिला। रफीक खाँ के चार पुत्र 1. अख्तर आलम 2. मकबुल खाँ 3. मतीन खाँ 4. सईद खाँ हुए। पिता की मृत्यु के बाद प्रत्येक को 04½ डी0 भूमि हिस्सा में मिला। विपक्षी ने दो पुत्रों 1. मतीन खाँ एवं 2. सईद खाँ से उनके हिस्से की 09 डी0 भूमि निबंधित केवाला सं0 [illegible]/2007 के माध्यम से खरीदा और दखल–कब्जा में आए, जिसके आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल–खारीज वाद सं0 112/16–17 से दाखिल–खारीज स्वीकृत किया गया है, जो दाखिल–खारीज के लिए स्थापित नियमों के अनुकूल है। विपक्षी का आगे दावा है कि रफीक खाँ के पुत्र अख्तर आलम को प्लौट सं0 567 में मात्र 04½ डी0 भूमि हिस्सा में मिला, जबकि अख्तर आलम ने 04½ डी0 भूमि के स्थान पर 19 डी0 भूमि निबंधित केवाला सं0 11704 दिनांक 08.12.2005 के माध्यम से अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री कर दिया। तथ्यों को छुपाकर अपीलार्थी ने दाखिल–खारीज वाद सं0 12/05–06 दायर किया। अंचल अधिकारी द्वारा बिना स्थलीय जाँच एवं विक्रेता के अन्य भाईयों (विपक्षी) को बिना सूचना दिए ही दाखिल–खारीज स्वीकृत कर दिया गया है जिसके विरूद्ध विपक्षी ने दाखिल–खारीज अपील वाद सं0 02/07–08 दायर किया जो दिनांक 02.03.2009 को खारीज हो गया। विपक्षी ने अपर समाहर्त्ता, पलामू के न्यायालय में दाखिल–खारीज रीविजन वाद सं0 XV/10/09-10 दायर किया। अपर समाहर्त्ता, पलामू द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2011 को निम्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अर्थात् दाखिल–खारीज एवं दाखिल–खारीज अपील निरस्त कर इस न्यायालय में पुनः सुनवाई कर नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्राप्त है। इस बदले परिस्थिति में ही दखल–कब्जा के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा विपक्षी के नाम से दाखिल–खारीज स्वीकृत किया गया है, जिसमें

हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है। विपक्षी ने अपीलार्थी के नाम से दाखिल-खारीज वाद सं0 12/05-06 से स्वीकृत दाखिल-खारीज आदेश को निरस्त करते हुए दाखिल-खारीज अपील वाद सं0 2/07-08 को स्वीकृत करने का निवेदन किया है।

दोनों अभिलेखों के साथ संलग्न कागजात का अवलोकन किया। दोनों पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि मौजा-नावाबाजार के खाता नं0 11 प्लौट नं0 557 रकबा 55 डी0 भूमि अहमद अली की थी। यह भी स्वीकार करते हैं कि अहमद अली के चार पुत्र 1. सदीक खॉ 2. रफीक खॉ 3. अब्दुल आस खॉ 4. जैनुल आवेदीन हुए। जिनमें से एक जैनुल आवेदीन की पिता के जीवनकाल में देहान्त हो गया। शेष बचे तीने भाईयों सदीक, रफीक एवं अब्दुल आस के बीच भूमि का बँटवारा में प्रत्येक को प्लौट नं0 557 में रकबा 18⅓ डी0 भूमि हिस्सा में मिला। इस प्रकार रफीक खॉ को 18⅓ डी0 भूमि हिस्सा में मिला। रफीक खॉ के चार पुत्र 1. अख्तर आलम 2. मकबुल खॉ 3. मतीन खॉ 4. सईद खॉ हुए। चारों भाईयों की बीच आपसी बँटवारा में प्रत्येक को 4½ डी0 भूमि हिस्सा में मिला, जबकि अख्तर आलम ने 4½ डी0 के स्थान पर 19 डी0 भूमि मो0 इरफान (दाखिल-खारीज अपील वाद सं0 2/07-08 के विपक्षी एवं दाखिल-खारीज अपील वाद सं0 36/22-23 के अपीलार्थी) को बिक्री कर दिया है। जिसपर आदेश पारित करने के पूर्व अंचल अधिकारी द्वारा विचार नहीं कर 4½ डी0 के स्थान पर 19 डी0 का दाखिल-खारीज स्वीकृत कर दिया है। इसलिए अंचल अधिकारी द्वारा मो0 इरफान के नाम से 19 डी0 का किया गया दाखिल-खारीज अवैध है। यह भी स्पष्ट होता है कि मो0 रिजवान (दाखिल-खारीज अपील वाद सं0 2/07-08 के अपीलार्थी एवं दाखिल-खारीज अपील वाद सं0 36/22-23 के विपक्षी) को मतीन खॉ एवं सईद खॉ से उनके हिस्से की 4½ + 4½ डी0 कुल 09 डी0 भूमि केवाला से प्राप्त है जिसके आधार पर 09 डी0 भूमि का दाखिल-खारीज वाद सं0 112/16-17 से दाखिल-खारीज हुआ है, जो सही एवं उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में दाखिल-खारीज वाद सं0 12/05-06 में मो0 इरफान खॉ के नाम से पारित दाखिल-खारीज आदेश निरस्त किया जाता है तथा दाखिल-खारीज अपील वाद सं0 2/07-08 में अपीलार्थी का अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। इसी प्रकार दाखिल-खारीज वाद सं0 112/16-17 में मो0 रिजवान के नाम से अंचल

त–खारीज
रते हुए
किया

अधिकारी द्वारा पारित दाखिल–खारीज आदेश बहाल रखा जाता है तथा दाखिल–खारीज अपील वाद सं0 36/22–23 में अपीलार्थी मो0 इरफान का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उप समाहर्त्ता,
भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर।

उप समाहर्त्ता,
भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर।

ज्ञापांक 390 दिनांक – 15.5.24
प्रतिलिपि अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

उप समाहर्ता
भू. सु. सदर,
मेदिनीनगर।

Digitally signed by Pyare Lal
Date: 2024.07.25 02:39:31 -07:00
Location: 192.168.134.181